स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 24

दिनांक : 26/3/2021

संयुक्त शासन सचिव, विधि,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण का पहचान–पत्र बनवाने बाबत्।

महोदय,

राजस्थान विधि सेवा के 61 अधिकारीगण द्वारा परिचय पत्र बनवाये जाने हेतु, निर्धारित प्रपत्र में भरे हुये आवेदन पत्र राजस्थान विधि सेवा परिषद को प्रेषित किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची में उल्लेखित है। अतः उक्त प्रपत्र मूल ही प्रेषित कर निवेदन है, कि विधि विभाग के स्तर से उक्त अधिकारीगण के परिचय पत्र शीघ्र बनवाने का श्रम करें। विधि सेवा परिषद उक्त परिचय पत्रों पर होने वाली व्यय राशि को वहन करने हेतु अपनी स्वीकृति देती है।

सादर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(परिचय अधिकारीगण के आवेदन पत्र)

भवदीय
26/3/2021
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

संयुक्त शासन सचिव, विधि,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण का पहचान–पत्र बनवाने बाबत्।

महोदय,

राजस्थान विधि सेवा के 14 अधिकारीगण द्वारा परिचय पत्र बनवाये जाने हेतु, निर्धारित प्रपत्र में भरे हुये आवेदन पत्र राजस्थान विधि सेवा परिषद को प्रेषित किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची में उल्लेखित है। अतः उक्त प्रपत्र मूल ही प्रेषित कर निवेदन है, कि विधि विभाग के स्तर से उक्त अधिकारीगण के परिचय पत्र शीघ्र बनवाने का श्रम करें। विधि सेवा परिषद उक्त परिचय पत्रों पर होने वाली व्यय राशि को वहन करने हेतु अपनी स्वीकृति देती है।

सादर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

26/3/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

07C

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./25

दिनांक : 06.04.2021

–:: मीटिंग नोटिस ::–

राजस्थान विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 09.04.2021 को दोपहर 1.30 बजे, कमरा नं0–5035, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कोविड–19 के कारण उक्त बैठक उचित समय पर आयोजित नहीं हो सकी।

उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विधि सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों (यथाः पदोन्नति समिति की शीघ्र बैठक आयोजित कराने, कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट प्राप्त करने, नवीन पदों का सृजन कराना इत्यादि) पर चर्चा की जायेगी।

कृपया कार्यकारिणी के समस्त सदस्य जिसमें संयोजक, परामर्श मण्डल एवं महिला मण्डल के सदस्य भी सम्मिलित हैं, कोविड–19 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का कठोरता से पालन करते हुए, उक्त निर्धारित समय पर बैठक में हिस्सा लेकर अपने सुझावों/विचारों से विधि सेवा के हित में किये जाने कार्यों को मजबूती प्रदान करावें।

निवेदक,

06/4/2021

(भारती शर्मा)
सचिव,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./26

दिनांक : 09.04.2021

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 09.04.2021 को दोपहर 1.30 बजे शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

पूर्व बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद का दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक का आय–व्यय का विस्तृत ब्यौरा पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है।

बैठक में परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों की Cadre Strength में कनिष्ठ विधि अधिकारी सम्मिलित होने पर 3 प्रतिशत अनुसार भिजवाई गयी पत्रावली को वित्त विभाग से सकारात्मक रूप से कार्यवाही हेतु सामूहिक प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. वर्ष 2021–22 की वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में जिन कनिष्ठ विधि अधिकारीगण का नियमानुसार वांछित कार्यानुभव 4 वर्ष ही हुआ है, उन्हें पदोन्नति दिलाये जाने हेतु कार्यानुभव में 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान करने हेतु विधि विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को पत्रावली भेजे जाने बाबत प्रमुख शासन सचिव, विधि को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।
3. विधि अधिकारियों को पदोन्नति हेतु वर्ष 2021 की विभागीय पदोन्नति समिति के शीघ्र आयोजन के संबंध मे विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस बाबत् विधि विभाग से अनुरोध किया जावे तथा जल्द से जल्द डी.पी.सी. आयोजित कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जावें।
4. लिटिगेशन पॉलिसी 2018 की क्रियान्विति के संबंध में सभी विभागों में Legal Cell स्थापित करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की ओर से जारी निर्देशों की पालना में

विचार–विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि उक्त परिपत्र के अनुसरण में विभिन्न विभागों में पदस्थापित विधि सेवा के अधिकारीगण विधि प्रकोष्ठ की परिपूर्णता सुनिश्चित कराने हेतु संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी एवं अन्य अपेक्षित पदों के सृजन हेतु अपने–अपने विभागों के प्रस्ताव शीघ्र ही विधि विभाग को भिजवावें।

5. कोविड–19 के कारण परिषद द्वारा वर्ष 2021 में सदस्यता शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है तथा परिषद का इस अवधि में व्यय भी कम हुआ है इसलिए आय व्यय का ब्यौरा आगामी कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाने के संबंध में विचार–विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
6. कोविड–19 के कारण स्थगित सेवानिवृत होने वाले अधिकारीगण के विदाई समारोह का पुनः सुचारू रूप से छोटे स्तर पर जारी रखने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
7. नवागन्तुक कनिष्ठ विधि अधिकारीगण के साक्षात्कार के परिणाम की विधिक अडचन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 7.4.2021 द्वारा परिणाम पर स्थगन के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए शीघ्र परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए उनकी शीघ्र नियुक्ति/पदस्थापन कराने की कार्यवाही बाबत परिषद् की ओर से विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने की सहमति पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
8. राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि अधिकारीगणों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन पूर्व में प्रस्तुत किया हुआ है। प्रमुख शासन सचिव महोदय से चर्चा करके प्रशिक्षण के संबंध में पुनः प्रयास किये जाने का निर्णय लिया तांकि नव आगन्तुक कनिष्ठ विधि अधिकारीगणों को भी कार्यग्रहण पश्चात प्रशिक्षण दिलाया जा सके।
9. वर्तमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर सेवा नियमों में 5 वर्ष का कार्यानुभव को कम करके 3 वर्ष किये जाने हेतु नियमों में संशोधन हेतु अभ्यावेदन दिये जाने का निर्णय लिया है।
10. वर्तमान में विधि सेवा अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त पदस्थापन आदेश में विलम्ब होने से पदोन्नत अधिकारियों को वित्तीय हानि उठानी पडती है। अतः विधि विभाग से पदोन्नत अधिकारियों को पदोन्नत मानते हुए, कार्यरत पदो पर ही पदोन्नति दिनांक से वित्तीय लाभ उपलब्ध कराने हेतु अभ्यावेदन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
11. विधि विभाग में विधि सेवा के संस्थापन संबंधी कार्यों के लिए संयुक्त विधि परामर्शी की नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन देने का निर्णय लिया गया है।

12. वर्तमान में रूपये 7600/– एवं उसके अधिक की ग्रेड–पे के अधिकारियों के लिए राजकीय वाहन उपलब्ध कराने का परिपत्र होने की जानकारी दी गयी है। अतः इस परिपत्र के कम में संयुक्त विधि परामर्शी एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के कार्यालय उपयोग हेतु राजकीय वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु अभ्यावेदन देने का निर्णय लिया गया है।
13. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों में प्रावधान के अनुसार बोर्ड में विधि सेवा के पद निदेशक, विधि एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदस्थापन हेतु अभ्यावेदन, देने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी के बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपिः प्रवक्ता, राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

महासचिव

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 28

दिनांक : 31/5/2021

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधि कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद से सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किये जाने हेतु संशोधन कराने बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा का गठन वर्ष 1981 में हुआ था। सेवा के गठन के समय से ही राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण राजकीय वादकरण संबंधी समस्त कार्य, निर्वचन एवं विधिक मामलों में राय संबंधी कार्य पूरी निष्ठा से सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं।

वर्तमान में विधि सेवा नियमों के तहत पदोन्नति हेतु कार्यानुभव की अवधि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदोन्नत पद	कार्यानुभव
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी	5 वर्ष
3.	सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी	3 वर्ष
4.	उप विधि परामर्शी से संयुक्त विधि परामर्शी	3 वर्ष का उप विधि परामर्शी के पद का अनुभव एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि
5.	संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के सभी पदों में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को सम्मिलित करते हुए 28 वर्ष की कुल सेवा अवधि अनुभव

विधि सेवा में प्रविष्टि हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नात्तक होने के कारण सामान्यतः 30 से 40 वर्ष की आयु में ही इस सेवा में प्रवेश हो पाता है और सेवा में आने के पश्चात् पदोन्नति में भी अत्यधिक समय लगता है। जैसा कि राजस्थान विधि सेवा में वर्ष 1994 एवं 1996 में सेवा में आये अधिकांश अधिकारीगण की पहली पदोन्नति में ही लगभग 15 से 18 वर्ष का समय लगा है। इसी प्रकार कुछ अधिकारीगण द्वितीय पदोन्नति भी लम्बे समय में प्राप्त कर सके है।

31/5/2021

विधि सेवा में प्रवेश का पद कनिष्ठ विधि अधिकारी का है, जो कि अधीनस्थ सेवा का पद है। कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद से प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर होती है, जो कि राज्य सेवा का पद है। चुंकि विधि सेवा में राज्य सेवा के पद पर सीधी भर्ती नहीं होती, अतः अधिकांश अधिकारी लगभग 40 से 45 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही राज्य सेवा में प्रविष्टि पाते हैं। इस परिस्थिति में विधि सेवा के अधिकांश अधिकारीगण लगभग 15 से 20 वर्ष की ही राज्य सेवा कर पाते हैं।

राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों का अधिकांश सेवाकाल आरम्भिक दो पदों पर अर्थात कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी के पदों पर ही पूरा हो जाता है और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु आयु एवं सेवाकाल बहुत कम शेष रहता है जिससे अधिकांश अधिकारियों को सहायक विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पदों तक ही पदोन्नति का लाभ ही मिल पाता है तथा वे संयुक्त विधि परामर्शी एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति का लाभ लिये बिना ही सेवानिवृत होना पड़ता हैं।

विधि सेवा के उच्चतर पदों पर अनुभव की अवधि 3 वर्ष निर्धारित हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विधि सेवा के कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर वरिष्ठतम पद वरिष्ठ संयुक्त विधि अधिकारी तक के पद के समस्त अधिकारियों पर एक ही सेवा नियम [राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981] लागू होते है और कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर ही सीधी भर्ती होती है तथा अन्य सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं।

विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता विधि स्नात्तक है अर्थात विधि सेवा में प्रवेश के लिए सामान्य स्नात्तक के साथ–साथ विधि स्नात्तक होने के लिए तीन वर्ष का अतिरिक्त समय लगता है। सामान्यतः विधि अधिकारियों की भर्ती भी नियमित अंतराल से नहीं हो पाती है। इस कारण से विधि सेवा में प्रवेश भी लगभग 30 से 40 वर्ष की उम्र में ही हो पाता है। चूंकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 40 वर्ष कर दी गई और 40 वर्ष की उम्र में सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारीगण की कुल सेवा अवधि 20 वर्ष ही शेष रहती है। ऐसी स्थिति में सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की सेवा के अनुभव को शर्त उचित नहीं है, जबकि इससे वरिष्ठ पद उप विधि परामर्शी एवं संयुक्त विधि परामर्शी पर पदोन्नति हेतु 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित है।

वर्तमान में वरिष्ठ विधि अधिकारी के लगभग कुल 184 पदों में से वर्ष 2017–2018 में पदोन्नत हुए मात्र 32 विधि अधिकारीगण ही पदस्थापित है जिनका नियमानुसार पदोन्नति हेतु कार्यानुभव पूर्ण नहीं हुआ है। जो कि वर्ष 2022–2023 में सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य होंगे। उक्त पद पर अब वर्ष 2021–2022 में पदोन्नत होने वाले कनिष्ठ विधि अधिकारीगण ही उपलब्ध होंगे। चूंकि सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद का कार्यानुभव आवश्यक है। **अतः राज्य में वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2023–2024, 2024–2025, 2025–2026 एवं 2026–2027 में एक भी अधिकारी सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं हो सकेगा तथा वर्ष 2026–2027 में सहायक विधि परामर्शी के पद पर एक भी अधिकारी पदस्थापित नहीं रहेगा एवं राज्य में सहायक विधि परामर्शी का सम्पूर्ण कैडर रिक्त हो जायेगा। चूंकि विधि सेवा के सम्पूर्ण कैडर में सहायक विधि परामर्शी के पद हेतु पदोन्नति बाबत 6 वर्षो तक कार्यानुभव पूर्ण करने वाले अधिकारीगण उपलब्ध नहीं होंगे। अतः वर्तमान नियमों में उक्त संशोधन नितान्त आवश्यक है। इसलिए राज्य हित में विधि सेवा में सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर 5 वर्ष के अनुभव के स्थान पर 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।**

31/5/2024

उपरोक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विधि सेवा के वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद से सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित करने हेतु राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :–

क्र.सं.	पदोन्नत पद	वर्तमान कार्यानुभव का प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष	यथावत
2.	**वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी**	**5 वर्ष**	3 वर्ष
3.	सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी	3 वर्ष	यथावत
4.	उप विधि परामर्शी से संयुक्त विधि परामर्शी	3 वर्ष का उप विधि परामर्शी के पद का अनुभव एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि	यथावत
5.	संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के सभी पदों में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद को सम्मिलित करते हुए 28 वर्ष की कुल सेवा अवधि अनुभव	यथावत

अतः विनम्र निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में राज्य हित में उपरोक्त अनुसार वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद से सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यानुभव 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष का संशोधन शीघ्र करवाने की कृपा करें ताकि वर्तमान में पदस्थापित वरिष्ठ विधि अधिकारियों को भी उक्त संशोधन का लाभ प्राप्त हो सके।

सादर।

भवदीय

31/5/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./29

दिनांक : 02/06/2021

–:: आदेश ::–

मैं जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी को राजस्थान विधि सेवा परिषद का संरक्षक मनोनीत करता हूँ, साथ ही श्री गुप्ता को परिषद के परामर्श मण्डल से मुक्त करता हूँ।

02/6/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/ प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर।
11. पंजीयन, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/ राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/ सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/ राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

02/6/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

दिनांक 04/6/2021

क्रमांक : राज.वि.से.प./30

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार

विषय :– राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना विधि विभाग को शीघ्र भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त कनिष्ठ विधि अधिकारी पद पर भर्ती हेतु दिनांक 15.04.2021 को 152 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अंतिम रूप से उद्घोषित किया गया है; किन्तु राज्य सरकार को इनकी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना अभी तक प्रेषित नहीं की गयी है।

राज्य में राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा की कैडर स्ट्रेंथ लगभग 660 है, जिनमें से वर्तमान में मात्र 268 पदों पर ही विधि अधिकारीगण पदस्थापित हैं, शेष पद रिक्त हैं। विधि सेवा कैडर में अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण राजकाज पर विपरीत प्रभाव पड रहा है तथा वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की पदोन्नति भी प्रभावित हो रही हैं।

अतः निवेदन है कि आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदों पर की गयी भर्ती की अभ्यर्थना, राजस्थान लोक सेवा आयोग से, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अतिशीघ्र भिजवाने की कृपा करें, जिससे कि कनिष्ठ विधि अधिकारीगण के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जा सके।

सादर !

04/6/2021
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

O/C

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

दिनांक : 19/7/2021

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 31

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– एन.पी.एस. में राज्य सरकार (नियोक्ता) का अंशदान बढाये जाने बाबत्।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 01.01.2004 के पश्चात राज्य में राजकीय सेवाओं के अन्तर्गत आये कार्मिकों के संबंध में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (नियोक्ता–कार्मिक अंशदान व्यवस्था) लागू की गयी है, जिसमें वर्तमान में राज्य सरकार (नियोक्ता) द्वारा कार्मिक के अंशदायी पेंशन खाते में उसके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत एवं कार्मिक द्वारा 10 प्रतिशत, बराबर–बराबर अंशदान जमा किया जा रहा है। राज्य में उक्त व्यवस्था केन्द्रीय व्यवस्था के अनुरूप लागू है।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा गजट अधिसूचना क्रमांक 5/7/2003–ईसीबी–पीआर, दिनांक 22 दिसम्बर 2003 में संशोधन करते हुए,एन.पी.एस. में कर्मचारियों का अंशदान उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत ही रखते हुए सरकार (नियोक्ता) का अंशदान बढाकर मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना से सैद्वान्तिक रूप से सहमति रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 3/12(1)2019, जयपुर, दिनांक 30.08.2019 जारी कर, राज्य में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण हेतु दिनांक 01.04.2019 से राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। यहॉ उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के अधीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत कार्यरत शेष कार्मिक अभी भी नियोक्ता के बढे हुए 4 प्रतिशत अंशदान से वंचित हैं।

19/7/2021

चूँकि राज्य में नई पेंशन स्कीम, केन्द्र सरकार के अनुरूप ही लागू की गयी है एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण के संबंध में नवीन व्यवस्थानुरूप नियोक्ता अंशदान बढाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, अतः उक्त क्रम में विनम्र निवेदन है कि शेष राजकीय कार्मिकों हेतु भी नियोक्ता अंशदान को 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत किया जावे, जिससे कि उक्त संबंध में प्रभावित कार्मिकों में असन्तोष का भाव पैदा न हो।

देश में कुछ राज्य अंशदायी पेंशन के संबंध में नियोक्ता के बढे हुए अंशदान के प्रावधानों को लागू कर चुके हैं। उक्त क्रम में झारखण्ड सरकार द्वारा जारी तत्संबंधी संकल्प की प्रति संलग्न है।

चूंकि राज्य की कल्याणकारी सरकार अपने कार्मिकों के हित में निर्णय लेने के संबंध में सदैव अग्रणी रही है, हाल ही में मंहगाई भत्ते के संबंध में जारी आदेश से भी यह बात प्रमाणित होती है। अतः परिषद को आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शेष कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता अंशदान राशि 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करने हेतु समुचित आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी किये जावेंगे।

उक्त हेतु विधि सेवा परिषद सदैव आपकी आभारी रहेगी।

संलग्न :– 1. केन्द्रीय अधिसूचना, दिनांक 31 जनवरी 2019
2. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.08.2019
3. झारखण्ड सरकार द्वारा जारी संकल्प

19/7/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

[भाग Go

tod

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांक: प0 3/12(1)कार्मिक/क–1/2019

जयपुर, दिनांक: 3 (4' G2019

आदेश

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में आर्थिक सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के द्वारा मंत्रालय की गजट अधिसूचना क्रमांक 5/7/2003–ईसीबी–पीआर दिनांक 22 दिसम्बर 2003 में संशोधन करते हुए यह प्रकाशित किया गया है कि एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत एवं केन्द्रीय सरकार का अंशदान मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

अतः वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति पश्चात् एतदद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये एनपीएस में अधिकारियों का अंशदान उनके मूल वेतन एवं महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंशदान मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होगा। यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 101903467 दिनांक 17.06.2019 से प्राप्त सहमति के अनुरूप जारी किया जाता है।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
11. निदेशक, ह0च0मा0 राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
12. आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

F. No. 1/3/2016-PR.—In partial modification of para 1(i) of Ministry of Finance's Gazette Notification No. 5/7/2003-ECB-PR dated 22nd December, 2003, based on the Government's decision on 6th December, 2018 on the recommendations of a Committee set up to suggest measures for streamlining the implementation of National Pension System (NPS), the Central Government makes the following amendments in the said notification, namely :-

(1) In para 1(i) of the said notification, for the words "The monthly contribution would be 10 percent of the salary and DA to be paid by the employee and matched by the Central Government", the words "The monthly contribution would be 10 percent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 percent of the Basic Pay plus DA by the Central Government" shall be substituted.

(2) The following provisions shall be inserted after para 1(v) of the said notification, namely:-

CHOICE OF PENSION FUND AND INVESTMENT PATTERN IN TIER-I OF NPS AS UNDER:

(vi) **Choice of Pension Fund**: As in the case of subscribers in the private sector, the Government subscribers may also be allowed to choose any one of the pension funds including Private sector pension funds. They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the Public-Sector Pension Funds will be available as the default option for both existing as well as new Government subscribers.

(vii) **Choice of Investment pattern**: The following options for investment choices may be offered to Government employees: -

(a) The existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among the three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance in accordance with the guidelines of PFRDA for Government employees may continue as default scheme for both existing and new subscribers.

(b) Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk may be given an option to invest 100% of the funds in Government securities (Scheme G).

(c) Government employees who prefer higher returns may be given the options of the following two Life Cycle based schemes.

(A) Conservative Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 25% - LC-25.

(B) Moderate Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 50% - LC-50.

(viii) **Implementation of choices to the legacy corpus**: Transfer of a huge legacy corpus of more than Rs. 1 lakh crore in respect of the Government sector subscribers from the existing Pension Fund Managers is likely to impact the market. It may be practically difficult for the PFRDA to allow Government subscribers to change the Pension Funds or investment pattern in respect of the accumulated corpus, in one go. Therefore, for the present, change in the Pension Funds or investment pattern may be allowed in respect of incremental flows only.

(ix) **Transfer of legacy corpus in a reasonable time frame:** PFRDA may draw up a scheme for transfer of accumulated corpus as per new choices of Government subscribers in a reasonable time frame of say five years. Once PFRDA draws up this scheme, change in the Pension Funds or investment pattern may be allowed in respect of the accumulated corpus in accordance with that scheme.

COMPENSATION FOR NON-DEPOSIT OR DELAYED DEPOSIT OF CONTRIBUTIONS DURING 2004-2012:

(x) In all cases, where the NPS contributions were deducted from the salary of the Government employee but the amount was not remitted to CRA system or was remitted late, the amount may be credited to the NPS account of the employee along with interest for the period from the date on which the deductions were made till the date the amount was credited to the NPS account of the employee, as per the rates applicable to GPF from time to time, compounded annually.

(xi) In all cases where the NPS contributions were not deducted from the salary of the Government employee for any period during 2004-2012, the employee may be given an option to deposit the amount of employee contribution now. In case he opts to deposit the contributions now, the amount may be deposited in one lump sum or in monthly installments. The amount of installment may be deducted from the salary of the Government employee and deposited in his NPS account. The same may qualify for tax concessions under the Income Tax Act as applicable to the mandatory contributions of the employee.

(xii) In all cases where the Government contributions were not remitted to CRA system or were remitted late (irrespective whether the employee contributions were deducted or not), the amount of Government contributions may be credited to the NPS account of the employee along with interest for the period from the date on which the Government contributions were due till the date the amount is actually credited to the NPS account of the employee, as per the rates applicable to GPF from time to time. Instructions to this effect may be issued by the Department of Expenditure/ Controller General of Accounts. All such cases of delay may be resolved within a period of three months.

2. The above provisions shall come into force with effect from 1st April, 2019.

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The main notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* notification No. 5/7/2003-PR dated the 22nd December, 2003.

ALOK Digitally signed by

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 33

दिनांक : 12.10.2021

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 12.10.2021 को दोपहर 1.30 बजे शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित की गई ।

बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद का दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक का आय–व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

बैठक में परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार – विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. वेतन विसंगति के संम्बध में राज्य सरकार द्वारा श्री खेमराज चौधरी आई.ए.एस. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित नवीन वेतन विसंगति समिति के समक्ष विधि सेवा अधिकारियों की वेतन विसंगति के सम्बध में नवीन ज्ञापन तैयार कर शीध्र प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
2. परिषद् का कार्यकाल शीध्र ही पूर्ण होने वाला है, इसलिए नवीन चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही परिषद् के संविधान अनुसार नवम्बर माह में किये जाने का निर्णय लिया गया ।
3. वेबसाईट अपडेशन हेतु मासिक व्यय 500/– से बढाकर 650/– प्रतिमाह करना तथा लिपिक कार्य हेतु मासिक व्यय 500/– प्रतिमाह स्वीकृत करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।
4. राज्य वादकरण नीति के बिन्दु सं0 28 में समस्त विधि अधिकारियों को प्रशिक्षण देने, रिफेशर कोर्स कराने का प्रावधान है, इस हेतु अनुमानित व्यय राशि का बजट आंवटन किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, अतः इसके लिए विधि विभाग को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है । चूंकि विधि विभाग के स्तर से प्रशिक्षण दिलाने में समय लग सकता है,इस कारण से नवीन कनिष्ठ

12.10.2021

विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु परिषद् के स्तर पर प्रशिक्षण की कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया ।

5. कनिष्ठ विधि अधिकारियों एवं वरिष्ठ विधि अधिकारियों की लम्बित पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने हेतु परिषद् के अध्यक्ष द्वारा विधि विभाग को निवेदन किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकार गया ।
6. कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति उपरान्त रिक्त पदों पर नवीन भर्ती हेतु शीघ्र विज्ञापन जारी कराने हेतु विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया ।
7. विधि सेवा परिषद् की स्मारिका/ डायरी शीघ्र बनवाने हेतु निर्णय लिया गया।
8. पूर्व में परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 09.04.2021 में लिये गये निर्णयों में से वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर सेवा नियमो में 5 वर्ष का कार्यानुभव को कम करके 3 वर्ष किये जाने हेतु नियमों में संशोधन हेतु पुनः अभ्यावेदन दिये जाने के निर्णय सहित अन्य शेष बिन्दुओं पर परिषद् की ओर से कार्यवाही करने हेतु विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा कियान्वयन हेतु निर्णय लिया गया ।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

12.10.2021

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपिः प्रवक्ता राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

12.10.2021

महासचिव

आज कार्यकारिणी की बैठक दि० 12/10/21 को आदिनांक तक का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने अवलोकन उपरान्त अनुमोदन किया।

12/10/21

Rajendra 12/10/2021

12/10/21

12/10/2021

12/10/2021

12/10/21

Sk Khan

12.10.21

12/10/2021

दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि

परिषद के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि का निम्नानुसार विवरणः–

(i) 56 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =500/–रूपये की राशि

56×500 = 28000/–रूपये की राशि

7 सदस्यों ने केश जमा किये

7×1000 = 7000/–रूपये की राशि

अर्थात कुल नकद राशि 35000/– रुपये

कुल सदस्य = 63 सदस्यों

(ii) 131 सदस्यों द्वारा ऑनलाईन जमा की गयी

= 500/–रूपये की राशि

131×500 = 65500/–रूपये की राशि

2 सदस्यों ने ऑनलाईन जमा करवाये

2×1000 = 2000/– रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन जमा राशि = 67500/–रूपये

कुल सदस्य 133 सदस्य

अर्थात कुल प्राप्त राशि

35000+67500 = 102500/– रूपये

उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–

133 सदस्यों द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी = 67500/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =67500/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि

102500–67500= 35000 /–रूपये

* उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।

12/10/21

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि तथा पूर्व में प्राप्त राशि व खर्चो की परिषद के पास जमा राशि का विवरण :–	दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक के हिसाब की शेष राशि = 16599.60/–रुपये राज0 विधि सेवा परिषद के पास अलग से जमा थे अर्थात पूर्व राशि परिषद के कोष में जमा = 16599.60/–रुपये है। 2. दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक परिषद को नकद प्राप्त राशि = 35000/–रुपये है। अर्थात परिषद् के पास कुल जमा राशि 16599.60+35000 = 51599.60/- रुपये है। 3. दिनांक 01.07.2020 से आदिनांक 12.10.2021 तक 133 सदस्यों से ऑनलाईन परिषद के खाते में जमा राशि 67500/– रुपये को सम्मिलित करते हुए राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर के शासन सचिवालय स्थित एस.बी.आई. बैंक खाता संख्या 51088903206 में कुल परिषद् की जमा राशि 384392.32 रुपये है। अतः परिषद के पास जमा राशि 384392.32 + 51599.60 = 435991.92/– रुपये। अर्थात परिषद् के पास कुल नकद प्राप्त राशि = 51599.60/– रुपये है। संलग्न :– दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2021 तक डेटा एंट्री अपडेशन हेतु 15 माह ×650 = 9750/– रुपये दिनांक 08.10.2021 को अभिषेक जी को परिषद् द्वारा नकद दिये। 2 दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2021 तक परिषद् के विविध ज्ञापन/पत्र आदि टाइपिंग मय करेक्शन के खर्चों हेतु श्री महेन्द्र जी को 15 माह × 500 = 7500/– रुपये दिनांक 08.10.2021 को परिषद् द्वारा नकद दिये। 3 वर्ष 2021–2022 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए परिषद् की ओर से अग्रिम 7 मोमेन्टो बनवाये गये = 6000/– रुपये जो दिनांक 30.07.2021 को परिषद् द्वारा नकद खरीदे गये। 4. दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2021 तक कोविड 19 के कारण छोटे स्तर पर किये गये जयपुर में आयोजित सेवानिवृत्त समारोह 30.07.2021 को किया गया जिसका खर्चा 3306 (सचिवालय कैन्टीन का बिल) + 420 (3 फ्रेम) + 1500 (साफा, माला, गुलदस्ते आदि) कुल राशि = 5226/– रुपये परिषद् द्वारा उक्त समारोह में खर्च किये गये। 5. कोषाध्यक्ष/सहकोषाध्यक्ष/कोऑर्डिनेटर की मोहर 360/– रुपये की परिषद द्वारा बनवाई गई। * अर्थात दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार उक्त खर्चो क्रमशः 1 से 5 तक की कुल राशि = 9750 + 7500 + 6000 + 5226 + 360 = 28836/– रुपये परिसार द्वारा खर्च किये गये। संलग्न :– खर्चो से संबंधित दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक की लिस्ट

अतः परिषद के पास उक्त नकद जमा कुल राशि = 51599.60/-रुपये में से परिषद् के उपरोक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 28836/–रुपये को समायोजित करके शेष राशि 51599.60 – 28836 = 22763.60/–रुपये परिषद् के पास वर्तमान में नकद जमा है।

नोट :– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय/कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है।

12/10/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

ांक :

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि तथा पूर्व मे प्राप्त राशि व खर्चो की परिषद के पास जमा राशि का विवरण :—	दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद के आवश्यक खर्चो की राशि :—
1. दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक के हिसाब की शेष राशि = 16599.60/–रुपये राज० विधि सेवा परिषद के पास अलग से जमा थे अर्थात पूर्व राशि परिषद के कोष में जमा = 16599.60/–रुपये है। 2. दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक परिषद को नकद प्राप्त राशि = 35000/- रुपये है। अर्थात परिषद् के पास कुल जमा राशि 16599.60+35000 = 51599.60/- रुपये है। 3. दिनांक 01.07.2020 से आदिनांक 12.10.2021 तक 133 सदस्यों से ऑनलाईन परिषद के खाते में जमा राशि 67500/– रुपये को सम्मिलित करते हुए राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर के शासन सचिवालय स्थित एस.बी.आई. बैंक खाता संख्या 51088903206 में कुल परिषद् की जमा राशि 384392.32 रुपये है। अतः परिषद के पास जमा राशि 384392.32 + 51599.60 = 435991.92/– रुपये। अर्थात परिषद् के पास कुल नकद प्राप्त राशि = 51599.60/– रुपये है। संलग्न :– दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2021 तक वेबसाईट अपडेशन हेतु 15 माह ×650 = 9750/- रुपये दिनांक 08.10.2021 को अभिषेक जी को परिषद द्वारा नकद दिये। 2 दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2021 तक परिषद् के विविध ज्ञापन/पत्र आदि टाइपिंग मय कॉरेक्शन के खर्चों हेतु श्री महेन्द्र जी को 15 माह × 500 = 7500/– रुपये दिनांक 08.10.2021 को परिषद द्वारा नकद दिये। 3 वर्ष 2021–2022 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए परिषद् की ओर से अभिनंदन / मोमेन्टो खरीदे गये = 6000/– रुपये जो दिनांक 30.07.2021 को परिषद् द्वारा नकद खरीदे गये। 4. दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2021 तक कोविड 19 के कारण छोटे स्तर पर किये गये जयपुर में आयोजित सेवानिवृत्त समारोह 30.07.2021 को किया गया जिसका खर्चा 3306 (सचिवालय कैंटीन का बिल) + 420 (3 फ्रेम) + 1500 (साफा, माला, गुलदस्ते आदि) कुल राशि = 5226/– रुपये परिषद द्वारा उक्त समारोह में खर्च किये गये। 5. कोषाध्यक्ष/सहकोषाध्यक्ष/कोऑर्डिनेटर की मोहरें 360/– रुपये की परिषद द्वारा बनवाई गई। * अर्थात दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक परिषद के रिकार्ड के अनुसार उक्त खर्चो क्रमशः 1 से 5 तक की कुल राशि = 9750 + 7500 + 6000 + 5226 + 360 = 28836/– रुपये परिसार द्वारा खर्च किये गये! संलग्न :– खर्चो से संबंधित दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक की लिस्ट

अतः परिषद के पास उक्त नकद जमा कुल राशि = 51599.60/-रूपये में से परिषद् के उपरोक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 28836/–रूपये को समायोजित करके शेष राशि 51599.60 – 28836 = 22763.60/–रूपये परिषद् के पास वर्तमान में नकद जमा है।

नोट :– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय/कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है।

12/10/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 505, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 34

ज्ञापन

दिनांक : 18/10/2021

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर, केन्द्रीय विधि सेवा/राजस्थान की अन्य समकक्ष सेवाओं को मिल रहे वेतनमान के समान वेतन निर्धारण बाबत्।

संदर्भ :- वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 7 (4) वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक 05.08.2021 के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संबंध में विनम्र निवेदन है कि राजस्थान राज्य में बढते हुये राजकीय वादकरण को दृष्टिगत रखते हुये, वादकरण के सुचारू संचालन, निस्तारण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु, सिफारिश देने बाबत् राज्य सरकार द्वारा विख्यात विधिवेत्ता डॉ0 एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। तदुपरान्त् राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 में, राजस्थान में विधि सेवा का विधिवत गठन किया गया।

तत्समय राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों का वेतनमान निम्नानुसार था :-

पदनाम	वर्ष 1983 से पूर्व का वेतनमान (रूपये में)	वर्ष 1983 में संशोधित वेतनमान (रूपये में)
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	500 – 890	660 – 1240 (L-13)
मुख्य विधि सहायक (अब वरिष्ठ विधि अधिकारी)	620 – 1100	820 – 1550 (L-17)
सहायक विधि परामर्शी	930 – 1500	1210 – 2040 (L-20)
उप विधि परामर्शी	1400 – 1900	1750 – 2500 (L-24)

18/10/2021

विधि सेवा के गठन के समय समिति द्वारा उच्चतर वेतनमान की सिफारिश की गई थी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा तत्समय वह वेतनमान न प्रदान कर, इन्हें सिफारिश से कम वेतनमान स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा तत्समय जिन सेवाओं के समान विधि सेवा के अधिकारियों का वेतनमान स्वीकृत किया गया था, उन सेवाओं का वेतनमान आज विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। यही नहीं जिन सेवाओं का वेतनमान उस वक्त विधि सेवा अधिकारियों से कम था, आज उनका भी वेतनमान, विधि सेवा अधिकारियों से अधिक है। इस प्रकार विधि सेवा के वेतन निर्धारण में भेदभाव हुआ है तथा समानता के मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ है। यही कारण है कि विधि सेवा से, अधिकारियों का अन्य सेवाओं में लगातार पलायन भी होता रहता है। वेतनमान में यह भेदभाव विधि सेवा के अधिकारियों के लिए मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ादायक है एवं इससे विधि अधिकारियों की कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है।

वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे वादकरण की स्थिति में, विधि सेवा के अधिकारीगण, सेवा के गठन के उद्श्यों से भी अधिक अपेक्षित कार्य निष्पादित कर रहे हैं। इनके प्रभावी कार्य संपादन से राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, बोर्ड, परिषद, राजकीय उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि समस्त स्तर लाभान्वित हो रहे हैं। सेवा के अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में रह कर भी राज्य के हितों की संरक्षा कर रहे हैं, जबकि वादकरण संबंधी कार्य में दिन–प्रतिदिन अत्यधिक वृद्वि होती जा रही है।

राज्य में राज्य सरकार, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा वादकरण' संबंधी समस्त कार्य संपादित किये जा रहे हैं। वादकरण का संचालन, वाद पत्र, जबाव दावों की विधिक्षा, न्यायिक निर्णयों का परीक्षण, विधायी प्रारूपण, नियम/अधिनियमों में संशोधन, **LITES** वेबसाईट्स का संधारण, विधिक राय हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों पर नियम, अधिनियम की व्याख्या कर विधिक राय प्रदत्त करना इत्यादि कार्य संपादित करना विधि सेवा के अधिकारियों का कर्तव्य है। (कार्य संबंधी आदेश परिशिष्ट 'अ 1–4')

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में प्रदान किये जा रहे वेतनमान, उनकी योग्यता एवं कार्य की प्रकृति को देखते हुए, किसी भी प्रकार से समुचित नहीं हैं, जबकि विधि सेवा से कम शैक्षणिक योग्यता एवं कम महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करने वाली सेवाओं के वेतनमान राजस्थान विधि सेवा के वेतनमान से उच्चतर स्थिति में हैं।

पांचवें वेतन आयोग के लागू होने से पूर्व तक कुछ सेवाओं के वेतनमान, राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) विधि सेवा के वेतनमान से या तो कम थे अथवा समान थे, पॉचवे वेतन आयोग में विधि सेवा को उनके मुकाबले कम वेतनमान प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार छठवे वेतन आयोग में भी राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) विधि सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के मुकाबले कम वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। इसी कारण विधि स्नातक की विशेष योग्यताधारी होने के बावजूद भी विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारी, वर्तमान में 12वीं शैक्षणिक योग्यता वाली कुछ सेवाओं से भी कम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं।

विधि सेवा में प्रवेश के लिए विधि स्नातक (व्यावसायिक) शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। विधि स्नातक एक **Proressional Degree** है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, औषधि नियंत्रक अधिकारी इत्यादि के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष है। इस सेवा में प्रवेश के लिए एकमात्र कनिष्ठ विधि अधिकारी (अधीनस्थ सेवा का पद) के पद पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। विधि सेवा में राज्य

18/10/2021

सेवा के किसी भी पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है, बल्कि राज्य सेवा के प्रथम पद वरिष्ठ विधि अधिकारी पर नियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद से पदोन्नति के जरिये ही होती है।

राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं से राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों के वेतनमान की तुलना

कनिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में :–

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवा पदों के समान विधि सहायक (वर्तमान पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में विधि सहायक (अब पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) का वेतनमान उनसे कम कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् हैं :–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड पे	संलग्न परिशिष्ट
अनुसंधान छात्र (अब अ0 स्कॉलर)	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड पे–3600 (अब 4200)	1 - 2
सहायक पुरालेखपाल	(राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा)	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड पे–3600 (अब 4200)	1 - 2
विधि रचनाकार	राजस्थान विधि रचना (अधीनस्थ) सेवा	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 12) ग्रेड पे–3600 (अब 4200)	3 - 4
विधि सहायक (अब कनिष्ठ विधि अधिकारी)	राज0 विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (स्केल नं0 11) ग्रेड पे–3200 (अब 3600)	5 - 6

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवाओं के पदों को विधि सहायक (अब पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) के समकक्ष नहीं मानते हुए कम वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवे वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में उन पदों को भी विधि सहायक (अब पदनाम कनिष्ठ विधि अधिकारी) से अधिक वेतनमान प्रदान कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् है :–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड–पे	संलग्न परिशिष्ट
अनुभाग अधिकारी	राजस्थान सचिवालय सेवा	620–1100	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड पे–4200 (अब 4800)	13–14
सहायक कृषि अधिकारी / कृषि सहायक / कृषि प्रसार अधिकारी / फार्म	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड पे–3600 (अब 4200)	7 - 8

18/10/2021

प्रबन्धक (जो कृषि स्नातक नहीं हैं)				
निरीक्षक ग्रेड–I	राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड पे–3600 (अब 4200)	9 - 10
निरीक्षक ग्रेड– I	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सा0 शाखा)	640–1180 (स्केल नं0 12)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 12) ग्रेड पे–3600 (अब 4200)	10A - 10B
विधि सहायक (अब कनि0विधि अधिकारी)	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा	660–1240 (स्केल नं0 13)	9300–34800 (ग्रे.पे नं0 11) ग्रेड पे–3200 (अब 3600)	5 - 6

राज्य में न्यायिक सेवा के अतिरिक्त, विधि स्नातक व्यवसायिक डिग्री योग्यता रखने वाली सेवाओं में कनिष्ठ विधि अधिकारी, विधि रचनाकार, सहायक अभियोजन अधिकारी एवं महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। राज्य में कनिष्ठ विधि अधिकारी के अलावा उपरोक्त सभी पदों का वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे–4200 है, जबकि कनिष्ठ विधि अधिकारी का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–3600 है।

उक्त सेवाओं से यदि विधि सेवा की तुलना करें तों, विधि रचना सेवा का मुख्य कार्य नये नियम/अधिनियम बनाने अथवा उनमें संशोधन करने हेतु अंग्रेजी में प्राप्त प्रारूपों का हिन्दी रूपान्तरण करना है, जबकि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में उक्त प्रारूप विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा ही बनाये जाते हैं। इसी प्रकार अभियोजन सेवा के अधिकारी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष केवल अपराधिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर उस केस में अपील करने/न करने हेतु अपनी राय व्यक्त करते हैं, जबकि विधि सेवा के अधिकारीगण द्वारा उक्त समस्त आपराधिक प्रकरणों के परीक्षण कर उनमें अपील करने/न करने की कार्यवाही संपादित करायी जाती है। विधि सेवा का कार्य केवल आपराधिक प्रकरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकार से संबंधित प्रत्येक दीवानी, राजस्व एवं सेवा संबंधी समस्त मामलों का परीक्षण कर, उनमें विधिक राय व्यक्त कर, उनमें हुए न्यायिक निर्णयों की आगे अपील करने/न करने का निर्णय कराने का कार्य भी विधि सेवा के अधिकारियों द्वारा ही संपादित किया जाता है।

विधि रचना एवं अभियोजन सेवा, दोनों ही सेवाऐं एक विशेष विभाग से ही संबंधित होने के कारण समान प्रकृति का कार्य संपादित करती हैं, जबकि विधि सेवा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग, आयोग, बोर्ड, परिषद, स्थानीय निकाय इत्यादि में भिन्न–भिन्न प्रकार के विभागीय मामलों के साथ–साथ दीवानी, आपराधिक, राजस्व एवं सेवा संबंधी वादकरण का समस्त कार्य निष्पादित करती है।

अतः निश्चित रूप से विधि सेवा का कार्य उक्त दोनों ही सेवाओं से किसी भी दृष्टि से कम महत्वपूर्ण अथवा कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, किन्तु इसके बावजूद भी विधि सेवा के वेतनमान इन दोनों सेवाओं से कम हैं, जो कि किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

18/10/2021

विधि सेवा में प्रवेश के एकमात्र पद 'कनिष्ठ विधि अधिकारी' को वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रूपये 9300–34800, ग्रेड पे–3600 प्रदान किया जा रहा है, जो कि संपूर्ण भारत वर्ष में विधि स्नातक योग्यता की समस्त सेवाओं में सबसे कम है। वर्तमान में में विधि स्नातक योग्यता का अन्य कोई पद पूरे भारतवर्ष में नहीं है। जबकि राजस्थान विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी की ग्रेड पे 3600 मात्र ही है, जो किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। राज्य में कार्यरत कनिष्ठ विधि अधिकारियों को कम वेतनमान के आधार पर कई बार मंत्रालियक कर्मचारियों के कार्य करने को भी मजबूर किया जाता है, इसे गंभीरता से लेते हुए विधि विभाग द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 30.08.2019 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है। **(परिशिष्ट 'अ 1–4')**

मान्यवर इतना कम वेतनमान, कनिष्ठ विधि अधिकारी पद के लिए एक अभिशाप बना हुआ है, जिसके कारण उक्त अधिकारीगण त्रस्त हैं एवं सेवा छोडकर अन्य सेवा में पलायन करने हेतु मजबूर हैं। अतः उक्त वेतनमान में वृद्वि किया जाना नितान्त आवश्यक है। हालांकि केन्द्र में कनिष्ठ विधि अधिकारी के समकक्ष पद 'सहायक विधि' का वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे–4600 है, किन्तु परिषद द्वारा वरिष्ठ विधि अधिकारी पद हेतु अधीक्षक विधि के ग्रेड पे– 4800 के स्थान पर 5400 ग्रेड पे की मांग किये जाने एवं प्रशासनिक विभाग तद्नुरूप वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु व्यक्त सहमति को ध्यान में रखते हुऐ कनिष्ठ विधि अधिकारी को ग्रेड़ पे–4200 की मॉग की जा रही है, किन्तु **यदि समिति द्वारा विधि रचनाकार अथवा सहायक अभियोजन अधिकारी का वर्तमान वेतनमान ग्रेड़ पे–4200 से बढाया जाता है, तो कनिष्ठ विधि अधिकारी का वेतनमान भी तद्नुरूप ही बढाया जावे, जिससे कि भविष्य में वेतनमान में विसंगति न रहे।**

वरिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में :–

विधि सेवा में वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद राजस्थान में राज्य सेवा का प्रथम पद है, जो कि कनिष्ठ विधि अधिकारी की पदोन्नति मात्र से ही भरा जाता है। विधि सेवा में राज्य सेवा के किसी भी पद पर सीधी भर्ती नहीं होती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर, जो कि अधीनस्थ सेवा का पद है, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त भर्ती की जाती है। विधि स्नातक (व्यावसायिक) शैक्षणिक योग्यता होने के कारण विधि सेवा में भर्ती की औसत आयु लगभग 30 वर्ष है। सेवा में पदोन्नति के प्रथम दो पद वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी पर पदोन्नति हेतु पॉच–पॉच वर्ष का न्यूनतम कार्यानुभव निर्धारित है। चूंकि राज्य की अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पाने हेतु अनुभव की गणना ग्रेड पे–5400 से की जाती है। अतः वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद 5400 पे ग्रेड से कम अर्थात 4800 होने के कारण विधि सेवा के अधिकांश अधिकारी The Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Rules, 1997 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पाने के अवसर से वंचित रहते हैं। अतः राजस्थान विधि सेवा के राज्य सेवा के प्रथम पद, वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर विधि स्नातक (व्यावसायिक) शैक्षणिक योग्यता एवं पद पर पहुॅचने हेतु अनुभव हासिल करने में लगने वाले समय को देखते हुए, वरिष्ठ विधि अधिकारी को वर्तमान में दिये जा रहे वेतनमान 9300–34000 (ग्रेड पे–4800) L–12 के स्थान पर वेतनमान 15600–39000 (ग्रेड पे–5400) L–14 प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य में महिला अधिकारिता विभाग के अधीन विधि स्नातक शैक्षणिक योग्यता की सीधी भर्ती के कनिष्ठ विधि अधिकारी के ही समकक्ष 'संरक्षण अधिकारी' के पद से प्रथम पदोन्नति

18/10/2021

'सहायक निदेशक' के पद पर होती है, जिसका वेतनमान 15600–39100 (ग्रेड पे–5400) I.-14 है। चूंकि उक्त पद वरिष्ठ विधि अधिकारी पद के ही समकक्ष है, अतः वरिष्ठ विधि अधिकारी को उक्त वेतनमान प्रदान किया जाना न्यायोचित है। (परिशिष्ट 'अ 5–7')

सहायक विधि परामर्शी (ALR) के संबंध में :–

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवा पदों के समान सहायक विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवे वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में सहायक विधि परामर्शी का वेतनमान उनसे कम कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् है :–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार पे–स्केल एवं ग्रेड पे–	संलग्न परिशिष्ट
आचार्य / फिजिसियन / स्पेशलिस्ट	राजस्थान आयुर्वेद सेवा (महाविद्यालय शाखा)	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड पे–6600	11-12
उप निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड पे–6600	11-12
सहायक शासन सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड–पे 6600	13-14
निजी सचिव	राजस्थान शासन सचिवालय सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड पे–6600	13-14
विधि रचना अधिकारी	राजस्थान विधि रचना सेवा	1210–2040 (स्केल नं020)	15600–39100 (स्केल नं0 17) ग्रेड पे–6600	3-4
सहायक विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	1210–2040 (स्केल नं0 20)	15600–39100 (स्केल नं0 16) ग्रेड पे–6000	5-6

चूंकि सहायक विधि परामर्शी के समकक्ष पदों का वर्तमान वेतनमान 15600–39100, स्केल नं0 17, ग्रेड पे–6600 है, जबकि सहायक विधि परामर्शी का वेतनमान 15600–39100 स्केल नं0 16, ग्रेड पे–6000 है, अतः उक्त पद हेतु वेतनमान 15600–39100 स्केल नं0 17, ग्रेड पे–6600 स्वीकृत किया जाना न्यायोचित एवं नितान्त आवश्यक है।

उप विधि परामर्शी (DLR) के संबंध में :–

वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण में जिन सेवा पदों के समान उप विधि परामर्शी के पद का वेतनमान निर्धारित किया गया था, छठवे वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण में उप विधि परामर्शी

का वेतनमान उनसे कम कर दिया गया है, जो कि निम्नवत् है :–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्ष 1983 के वेतन निर्धारण	वर्ष 2008 के षष्टम वेतन निर्धारण के अनुसार	संलग्न परिशिष्ट

18/10/2021

		में पे–स्केल	पे–स्केल एवं ग्रेड पे	
निदेशक	राजस्थान आयुर्वेद सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड पे–7600	11-12
निदेशक	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड पे–7600	15-16
उप शासन सचिव	राजस्थान सचिवालय सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड पे–7600	13-14
उप शासन सचिव, विधि रचना संगठन	राजस्थान विधि रचना सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 20) ग्रेड पे–7600	3-4
उप विधि परामर्शी	राजस्थान विधि सेवा	1750–2500 (स्केल नं0 24)	15600–39100 (स्केल नं0 19) ग्रेड पे–7200	5-6

चूंकि उप विधि परामर्शी के समकक्ष पदों का वर्तमान वेतनमान 15600–39100, स्केल नं0 20, ग्रेड पे–7600 है, जबकि उप विधि परामर्शी का वेतनमान 15600–39100, स्केल नं0 19, ग्रेड पे–7200 है, अतः उक्त पद हेतु वेतनमान 15600–39100, स्केल नं0 20, ग्रेड पे–7600 स्वीकृत किया जाना न्यायोचित एवं नितान्त आवश्यक है।

संयुक्त विधि परामर्शी (Jt.L.R.) के संबंध में :–

राज्य विधि सेवा का वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एकमात्र पद है, जिसे (PB-4 में वेतनमान GP-8700 (GP No.22) दिया गया है। विधि स्नातक प्रोफेशनल डिग्री शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद भी विधि सेवा का सर्वोच्च पद ही चतुर्थ पे–बैण्ड में है, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान बीमा सेवा, राजस्थान की समस्त इंजिनियरिंग सेवा, राजस्थान चिकित्सा सेवा इत्यादि अधिकांश सेवाओं में उच्चतम दो पद चतुर्थ पे बैण्ड में है। अतः मात्र सर्वोच्च पद ही चतुर्थ पे–बैण्ड में होने के कारण एवं इन पदों की संख्या सेवा की कुल कैडर स्ट्रेंथ लगभग 665 में मात्र 12 होने के कारण विधि सेवा के अधिकांश अधिकारी, विशेषज्ञ सेवा होने के बावजूद भी, त्रतीय पे–बैण्ड में ही सेवा निवृत्त हो जाते हैं, जो कि अत्यन्त पीड़ादायक स्थिति है।

वर्ष 1989 में पुनरीक्षित वेतनमान में विधि रचना सेवा के उप सचिव एवं विधि सेवा के उप विधि परामर्शी का एक समान वेतनमान रूपये 3450–5000 (स्केल–22) था। विधि सेवा में उप विधि परामर्शी के बाद अगला पद संयुक्त विधि परामर्शी है, जबकि विधि रचना सेवा में उप सचिव के बाद संयुक्त शासन सचिव (पूर्व पदनाम वरिष्ठ उप सचिव) का है। वर्तमान में संयुक्त विधि परामर्शी को त्रतीय पे–बैण्ड में रूपये 8200, ग्रेड–पे प्रदत्त की जा रही है, जबकि विधि रचना सेवा में संयुक्त सचिव को चतुर्थ पे–बैण्ड में 8700 ग्रेड–पे दी जा रही है, जो कि निम्नवत् है:–

पदनाम	सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान
संयुक्त सचिव (पूर्व नाम वरिष्ठ उप सचिव)	विधि रचना सेवा	37400–67000 PB-4 GP-8700
संयुक्त विधि परामर्शी	विधि सेवा	15600–39100 PB-3 GP-8200

18/10/2021

चूंकि विधि रचना सेवा में संयुक्त विधि परामर्शी के समकक्ष पद का वेतनमान 37400–67000 , PB-4, GP-8700 है, अतः संयुक्त विधि परामर्शी को उक्त वेतनमान प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के संबंध में :–

अधिकांश राज्य सेवाओं में उच्चतम दो पद चतुथ पे बैण्ड में रखे गये हैं, अतः इन सेवाओं के अधिकांशतः अधिकारीगण चतुर्थ पे–बैण्ड के सम्मानजनक वेतनमान में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि विधि सेवा के 95 प्रतिशत से भी अधिक अधिकारी तृतीय पे–बैण्ड में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधि सेवा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं उसे आवंटित कार्यों को देखते हुए इस सेवा के सर्वोच्च पद को चतुर्थ पे–बैण्ड में वेतनमान 37400–67000, PB-4 (GP-9500) L-23 प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। वर्तमान में राज्य की अधिकांश सेवाओं में उच्चतम पद का वेतनमान 37400–67000, PB-4 में ग्रेड पे–9500 अथवा 10,000 निर्धारित है। चूंकि केन्द्रीय सेवा में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के समकक्ष संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार को ग्रेड पे– 10,000 प्रदान किया गया है, अतः राज्य में विधि सेवा के सर्वोच्च पद संयुक्त विधि परामर्शी को वेतनमान 37,600–67,000 (ग्रेड पे–9500) L-23 प्रदान किया जाना पूर्णतः न्याय संगत है।

राज्य में विधि सेवा एवं केन्द्र में विधि सेवा के पदों का तुलनात्मक विवरण

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा एवं केन्द्रीय विधि सेवा के समतुल्य पदों का छठवे एवं सातवे वेतन आयोग में प्रदत्त वेतनमान का विवरण निम्नवत् है :–

केन्द्र में विधि सेवा		राजस्थान में विधि सेवा			औचित्य एवं कारण
पद	स्वीकृत वेतनमान	विद्यमान पद	स्वीकृत वेतनमान	वांछित एवं न्याय संगत वेतनमान	
सहायक, विधि	6th वेतन आयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 4600) 7th में L-7	कनि0 विधि अधिकारी (पूर्व पद विधि सहायक)	6th वेतन आयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 3600) 7th में L-10	6th वेतन आयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 4200) 7th में L-11	1. शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्य एवं भर्ती प्रकिया के लिये टेबिल संलग्न नं0–17 है। 2. राज्य में उपलब्ध ग्रेड पे के अनुसार समानता बनाये रखने के लिये कनिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद विधि सहायक के लिये केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद हेतु निर्धारित ग्रेड पे–4600 के स्थान पर 4200 की मांग की गई है और वरिष्ठ विधि अधिकारी (पूर्व पद मुख्य विधि सहायक) हेतु केन्द्रीय विधि सेवा के समकक्ष पद
अधीक्षक, विधि	6th वेतन आयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 4800) 7th में L-8	वरि0 विधि अधिकारी (पूर्व पद मुख्य विधि सहायक)	6th वेतन आयोग में 9300–34800 (ग्रेड–पे 4800) 7th में L-12	6th वेतन आयोग में 15600–39100 (ग्रेड–पे 5400) 7th में L-14	
सहायक विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 15600–39100 (ग्रेड–पे 6600) 7th में L-11	सहायक विधि परामर्शी (ALR)	6th वेतन आयोग में 15600–39100 (ग्रेड–पे 6000) 7th में L-15	6th वेतन आयोग में 15600–39100 (ग्रेड–पे 6600) 7th में L-16	
उप विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 15600–39100 (ग्रेड–पे 7600)	उप विधि परामर्शी (DLR)	6th वेतन आयोग में 15600–39100	6th वेतन आयोग में 15600–39100	

18/10/2021

	7th में L-12		(ग्रेड–पे 7200) 7th में L-18	(ग्रेड–पे 7600) 7th में L-19	हेतु निधारित ग्रेड पे–4800 के स्थान पर 5400 की मांग की गई है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या अधिक और वरिष्ठ विधि अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण उक्त अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने में राज्य सरकार पर वित्तीय भार कम आयेगा। संलग्न–20–23)
अतिरिक्त विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग में 37400–67000 (ग्रेड–पे 8700) 7th में L-13	संयुक्त विधि परामर्शी (Jt.LR)	6th वेतन आयोग में 15600–39100 (ग्रेड–पे 8200) 7th में L-20	6th वेतन आयोग में 37400–67000 (ग्रेड–पे 8700) 7th में L-21	
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार	6th वेतन आयोग मे 37400–67000 (ग्रेड–पे 10,000) 7th मे L-14	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (Sr.Jt.LR)	6th वेतन आयोग में 37400–67000 (ग्रेड–पे 8700) 7th में L-21	6th वेतन आयोग में 37400 67000 (ग्रेड–पे 9500) 7th में L-23	

राज्य की विभिन्न सेवाओं एवं केन्द्र की विधि सेवा से राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा की उक्त तुलनात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों को न तो राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के समान और न ही केन्द्र की समकक्ष सेवाओं के समान वेतनमान प्रदान किया गया है। राज्य सरकार के विधि विभाग के अधीन कार्यरत विधि संबंधी दोनों सेवाओं, राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा, जिनके वेतनमान सेवाओं के गठन से ही समान थे, में भी असमानता हो गयी है एवं विधि सेवा के अधिकारीगण को कम वेतनमान प्राप्त हो रहा है। राज्य में और भी कई ऐसी सेवाऐं हैं, जिनकी तुलना में विधि सेवा का वेतनमान अब कम हो गया है।

विधि सेवा के सदस्यों की योग्यता, उनकी चयन प्रकिया एवं संपादित किये जाने वाले कार्य अति–महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं। राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्रीय विधि सेवा को प्रदत्त वेतनमान की तुलना में विधि सेवा के अधिकारियों को कम वेतनमान दिया जाना, किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतनमान को निम्नानुसार संशोधित किया जाना पूर्ण रूपेण औचित्यपूर्ण है :–

पद	वर्तमान वेतनमान	वांछित वेतनमान
कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 3600) L-10	9300–34800 (4200/– ग्रेड पे) L-11
वरिष्ठ विधि अधिकारी (SLO)	9300–34800 (ग्रेड पे 4800) L-12	15600–39100 (5400/– ग्रेड पे) L-14
सहायक विधि परामर्शी (ALR)	15600–39100 (ग्रेड पे 6000) L-15	15600–39100 (6600/– ग्रेड पे) L-16
उप विधि परामर्शी (DLR)	15600–39100 (ग्रेड पे 7200) L-18	15600–39100 (7600/– ग्रेड पे) L-19
संयुक्त विधि परामर्शी (Jt. LR)	15600–39100 (ग्रेड पे 8200) L-20	37400–67000 (8700/– ग्रेड पे) L-21
व0 संयुक्त विधि परामर्शी (Sr. Jt.LR)	37400–67000 (ग्रेड पे 8700) L-21	37400–67000 (9500/– ग्रेड पे) L-23

18/10/2021

प्रशासनिक विभाग की सहमति :–

राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अधिकारियों के लिए चाहे जा रहे उक्त वेतनमान को, तत्कालीन विधि मंत्री महोदय ने उचित मानते हुए, विधि विभाग की अनुशंसा के साथ, सातवे वेतन आयोग की कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 30.09.2017 को वित्त विभाग को भेजा था, जिसे वित्त विभाग के निर्देशानुसार विधि विभाग द्वारा दिनांक 13.12.2017 को वेतन विसंगति निवारण हेतु श्री डी.सी. सावंत कमेटी को प्रेषित किया गया। **(परिशिष्ट–18)**

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2018 की अनुपालना में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 25.05.2018 को परिषद के प्रतिनिधियों की सुनवाई की गयी। सुनवाई उपरान्त समिति द्वारा राजस्थान विधि सेवा परिषद के अभ्यावेदन दिनांक 23.11.2017 में वांछित उक्त वेतनमान को, केन्द्रीय विधि सेवा अथवा राजस्थान की अन्य समकक्ष सेवाओं के आधार पर उचित मानते हुए, अपनी सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 30.05.2018 को डी0सी0 सावंत कमेटी को प्रेषित किया गया। **(परिशिष्ट–'अ–8')**

अतः राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा को **प्रदान किए जा रहे उक्त वेतनमान पर राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग (विधि एवं विधक कार्य विभाग) द्वारा सक्षम स्तर से सहमति व्यक्त करते हुए, वेतन विसंगति निवारण हेतु इस प्रकरण को, पूर्व में ही श्री डी.सी. सावंत, वेतन विसंगति निवारण समिति को दो बार भेजा जा चुका है।**

वर्तमान में राज्य में, राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में कुल 233 कनिष्ठ विधि अधिकारी, 33 वरिष्ठ विधि अधिकारी, 23 सहायक विधि परामर्शी, 80 उप विधि परामर्शी, 23 संयुक्त विधि परामर्शी एवं 12 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी पदस्थापित हैं, जिन्हें उक्त वांछित वेतनमान प्रदत्त किये जाने से राज्य सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय भार नहीं आना है।

अतः विनम्र निवेदन है कि राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के विधि अधिकारियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिये जटिल चयन प्रक्रिया, उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की महत्वपूर्ण प्रकृति, राज्य में अन्य समकक्ष सेवाओं एवं केन्द्र में विधि सेवा के समकक्ष पदों हेतु प्रदान किये गये वेतनमान तथा प्रशासनिक विभाग (विधि विभाग) द्वारा उक्त वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु व्यक्त की गई पूर्व में सहमति को, ध्यान में रखते हुए, राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) विधि सेवा के अधिकारियों के लिए सातवे वेतन आयोग में निर्धारित किये गये वेतनमान की उक्त विसंगति को दूर कर, उक्त वांछित वेतनमान स्वीकृत कराने की कृपा करें।

राजस्थान विधि सेवा परिषद उक्त हेतु उपरोक्त आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

18/10/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद
मो0नं0:– 7014347174

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 30.8.19

:: परिपत्र ::

प्राय: यह देखा गया है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से विधिक कार्यों के अतिरिक्त विभाग के अन्य विभागीय कार्य भी सम्पादित कराये जा रहे है, जबकि विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व इस विभाग के परिपत्र कमांक प.49(3)न्याय/82 दिनांक 27.04.1983, कमांक प.12(4)राज/वाद/93 दिनांक 22.11.1994 एवं कमांक प.12 (4)राज/वाद/93 दिनांक 29.10.1996 द्वारा निर्धारित किये गये है, जो कि वर्तमान में भी प्रभावी हैं। अत: सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त परिपत्रों में वर्णित कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अनुसार ही अनुपालना सुनिश्चित करावें।

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों के पालन के समुचित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे इनकों अपने कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अत: सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान विधि सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार समुचित स्टॉफ एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराए।

संलग्न:–1. परिपत्र कमांक प.49(3)न्याय/82 दिनांक 27.04.1983
2. परिपत्र कमांक प.12(4)राज/वाद/93 दिनांक 22.11.1994
3. परिपत्र कमांक प.12 (4)राज/वाद/93 दिनांक 29.10.1996

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

30.8.19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट 'A-2'
116

परिशिष्ट --4

विधि सेवा अधिकारियों के कार्य, दायित्व व अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिपत्र

राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांक एफ 49 (3) न्याय/82 जयपुर, दिनांक 27.04.83

—:: परिपत्र ::—

राज्य सरकार के विधिक कार्यो के सम्पादन निमित्त, विधि सुधार एवं विधि सेवा समिति, राजस्थान की सिफारिश के आधार पर राजस्थान विधि सेवा का गठन किया गया था। इस सेवा के अन्तर्गत निम्न पदों को सम्मिलित किया गया है—

(i) विधि सहायक
(ii) मुख्य विधि सहायक
(iii) सहायक विधि परामर्शी / सहायक विधि प्रारूपकार
(iv) उप विधि परामर्शी ।

राजस्थान विधि सेवा में सदस्यों से निम्न वर्णित कार्यो का सम्पादन ही अपेक्षित है:—

1. विधायी प्रारूपण सम्बन्धी कार्य ।

(अधिनियमों, नियमों ,विनिवमों एवं उप नियमों आदि का प्रारूपण एवं उनमें संशोधन आदि के प्रारूप बनाना)

2. वैधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्श सम्बन्धी कार्य ।

3. वादकरण सम्बन्धी कार्य।

(i) नोटिस, याचिका दावे एवं जवाब दावे इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श।

(ii) अपीलीय मामले एवं निर्णय आदि का परीक्षण एवं परामर्श एवं अन्य विभागीय विशिष्ट वैधिक कार्य ।

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न विभाग/विभागाध्यक्ष उनके यहां पदस्थापित विधि संज्ञा के सदस्यो के कार्यक्षेत्र के बारे में इस विभाग में स्पष्टीकरण हेतु पत्र व्यवहार करते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों के कार्यो के बारे में मोटे रूप से स्पष्टीकरण किया जावे

अतः संबंधित विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि विधि सेवा के सदस्यो से उपरोक्त वर्णित वैधिक कार्य ही लिया जावे तथा इन्हें उपरोक्त कार्य सम्पादनार्थ समुचित लिपिकीय स्टाफ भी प्रदान किया जावे ताकि राज्य हित में उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग हो सके। वर्तमान में आपके विभाग में विधि सेवा के सदस्यों से किस प्रकार का कार्य करवाया जा रहा है कृपया इस विभाग को सूचित करने का श्रम करे।

Sd/-

उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

No. F. 12 (4) State/ Lit./93 Jaipur, Dated 22.11.94

CIRCULAR

Status, Duties, Responsibilities and powers of the officers of Legal Service posted in the Departments.

Object of Posting : The Officers of Legal Service are posted to assist the Administrative Secretaries and Heads of Department in dealing with legal and Para legal issues arising in day-to-day administration of the Department's and further to look after litigation and safeguard the interests of the State Government in cases pending in the various Courts.

Status : Officers of Legal Service will act Advisers of the Department in all legal matters including service matters, Departmental enquiries, drafting of Statues, Litigation and in all other legal and Para legal issues arising in day-to–day administration of the Department.

2. **Representative of the Law Department :**

(a) The Officers of legal Service will be directly subordinate to the Administrative Secretaries and Head of Department concerned. It will, however, be their duty to ensure that any irregularity or procedural defect which they have been able to detect should be brought to the notice of Administrative Secretaries/ Head of the Department and to suggest remedial measures to set them right and to check recurrence of such irregularities and defects.

(b) The officers of legal Service should identify the areas in which they have to take the steps essential to safeguard the interests of the Department in cases pending in various courts and further to see that the directions, if any, issued by the courts against the Department are complied within time. In cases of appeal /review / writ / petition / revision by the State against the judgement in question, the officers of Legal Service should also ensure that 'Necessary stay orders are obtained in time from the higher court by the OIC. If they feel that any statute or rule requires any revision or amendment they should submit their opinion to Administrative Secretaries /Head of the Department.

718

3. **Duties and responsibilities of the officers of Legal Service :**
They will be responsible –

(i) To furnish advice in every Legal and Para legal issues arising in day-to- day administration of the Department and try to solve the issue at the preliminary stage to avoid unnecessary litigation.

(ii) To advise whether the department should contest/ not to contest the case and apprise the Administrative Secretaries/ Head's of the Department about the factual position of the case.

(iii) To clarify the stand of the Department with regard to necessary pleadings in the matter.

(iv) To examine and advise for filing / not filing further appeal / revision / review special appeal etc. and apprise the Administrative Secretaries / Head's of the Department about the factual and legal aspect of the matter.

(v) To see that after filing of appeal, review or revision against the judgement in question necessary steps for obtaining stay, if any in the matter have been taken by OIC.

(vi) To do any other work concerned with and related or incidental to the duties mentioned above.

Officers of Legal Service should be entrusted mainly with advisory and litigation work and they should not generally be appointed as officers-in- charge of the case.

Sd./-
Secretary to Government

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 29.10.1996

क्रमांक : एफ 12(4) राज/वाद/93

–: परिपत्र :–

राज्य में बढ़ते हुए राजकीय वादकरण को मद्देनजर रखते हुए वादकरण के अविलम्ब निस्तारण, सुचारु संचालन एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु सुझाव देने के लिए राज्य स्तर पर कुम्मट कमेटी का गठन किया गया था। कुम्मट कमेटी की रिपोर्ट को राज्य स्तर पर स्वीकार करके इन सुझावों के क्रियान्वयन (Implimentation) हेतु विधि विभाग को प्रदत्त किया था। विधि विभाग ने उक्त कमेटी की रिपोर्ट की पालना में विभिन्न विभागों में विधि प्रकोष्ठों का गठन कर वहां विधि सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन भी कर दिया है तथा विधि सेवा के अधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण परिपत्र दिनांक 22.11.94 द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण के यहाँ पद स्थापित उप विधि परामर्शी संबंधित प्रमुख सचिव/सचिवगण के सीधे पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में नहीं होने से विधिक प्रकरणों की तुरन्त प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है और उप विधि परामर्शियों को शासन सचिवों के अधीन रखकर उनके माध्यम से प्रकरणों को प्रस्तुत करवाया जा रहा है, जिससे न केवल वादकरण में अनावश्यक विलम्बर हो रहा है अपितु शासन सचिवों की वादकरण की अविलम्ब की जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उप विधि परामर्शी का पद विधि सेवा का एक वरिष्ठ पद है और उप सचिव के पद के समकक्ष है इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी उन्हें उप सचिवों के अधीन रखना उचित नहीं है। साथ ही उप विधि परामर्शी प्रमुख सचिवों/सचिव/विभागाध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में नहीं रह सकने पर उन्हें अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

इस परिपत्र के जरिए समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहाँ पद स्थापित उप विधि परामर्शी को सीधे अपने पर्यवेक्षण नियंत्रण में रखे जिससे प्रतिदिन के वादकरण से व्यक्तिगत रूप से अवगत रखें। साथ ही समस्त उपविधि परामर्शीगण को पुनः निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त परिपत्र में निर्धारित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विभाग में प्रादन प्राप्त विधिक प्रकरणों एवं समस्त वादकरण से प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्षों को तुरन्त अवगत कराते रहें, जिससे वादकरण के शीघ्र निस्तारण में सुविधा हो तथा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही यथाविधि में संभव हो सके।

एम. एल. मेहता
मुख्य सचिव

परिशिष्ट-'अ'-5

परिशिष्ट-4

जिला स्तर पर महिला अधिकारिता के अंतर्गत स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.स.	पद का नाम	संवर्ग	लेवल	स्वीकृत
1	उप निदेशक	राजस्थान महिला महिला अधिकारिता (राज्य एव अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल–16	10
2	सहायक निदेशक	राजस्थान महिला महिला अधिकारिता (राज्य एव अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल–14	23
3	संरक्षण अधिकारी	राजस्थान महिला महिला अधिकारिता (राज्य एव अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल–11	33
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	मंत्रालयिक सेवा	लेवल–10	7
5	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड – II	राज. अधीनस्थ लेखा सेवा	लेवल–11	32
6	कनिष्ठ लेखाकार	राज. अधीनस्थ लेखा सेवा	लेवल–10	1
7	सुपरवाईजर, मअ प्रचेता, मअ	राजस्थान महिला महिला अधिकारिता (राज्य एव अधीनस्थ सेवा) सेवा	लेवल–10	277 18 कुल 295
8	वरिष्ठ सहायक	मंत्रालयिक सेवा	लेवल–8	26
9	**कनिष्ठ सहायक**	मंत्रालयिक सेवा	लेवल–5	33
10	सूचना सहायक	राज कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा	लेवल–9	33
11	वाहन चालक	राज अधीनस्थ सेवा	लेवल–5	1
12	च.श्रे. कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी सेवा	लेवल–1	33

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(8)न्याय/17 पार्ट जयपुर, दिनांक 30.5.18

सदस्य सचिव
श्री डी.सी. सामन्त कमेटी
वित्त भवन, जयपुर।

विषयः—विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में विधि सेवा परिषद की सुनवाई कर विभागीय अनुशंसा भेजे जाने बाबत्।

संदर्भः—कार्मिक (क–5) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.14(17)कार्मिक/क–5/2017 पार्ट दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2018 के क्रम में विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2018 को अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद ने विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने हेतु अभ्यावेदन की प्रति दिनांक 23.11.2017 के क्रम में दिनांक 25.05.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय अनुशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ भिजवाने हेतु पुनः निवेदन किया है।

अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा विधि अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर केन्द्रीय विधि सेवा के अधिकारियों अथवा राजस्थान की समकक्ष सेवाओं के लिए निर्धारित वेतनमान के समकक्ष वेतन निर्धारण करने के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उक्त समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अतः विधि विभाग की अभिशंसा के साथ श्री डी.सी. सामन्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

भवदीय

30.5.18

(मधुसूदन शर्मा)

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 37

दिनांक : 03.11.2021

—:: आदेश ::—

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 12.10.2021 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में, राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित प्रावधान के तहत् राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव सम्पन्न कराने बाबत्, एतदद्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन प्रकिया दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक सम्पन्न होगी, जिसका तिथिवार चुनाव कार्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जावेगा।

इस दौरान निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव संबंधी अपेक्षित कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

03/11/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्री राजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
2. श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।

03/11/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर।

कमांकः रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/2021

दिनांक: 01.12.2021

—:: सूचना ::—

राजस्थान विधि सेवा परिषद के सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के आदेश कमांक राज.वि.से.प./37, दिनांक 03.11.2021 के द्वारा, मुझ श्री राजेन्द्र सिंह को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर, चुनाव संपन्न कराने का दायित्व सौंपा गया है।

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक 12.12.2021 को कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

1. अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दिनांक 06.12.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कमरा नं0 5012, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. नामांकन पत्र दिनांक 08.12.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक वापस लिये जा सकेंगे।
3. अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध नहीं होने की स्थिति में, प्रत्यर्थियों की सूची दिनांक 09.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे जारी की जायेगी।
4. चुनाव हेतु एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होने की स्थिति में सभी संभागों में चुनाव संपन्न कराये जावेंगे, जिसके लिए संभागीय निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 10.12.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक कर दी जावेगी।
5. चुनाव दिनांक 12.12.2021 को अपरान्ह 01.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक संपन्न कराये जायेंगे।
6. यदि मतदान के दिवस अन्य किसी संभाग में पदस्थापित परिषद का कोई सदस्य, जयपुर में उपस्थित है तो वह जयपुर स्थित मतदान केन्द्र पर भी अपना मतदान कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उसे स्वयं द्वारा सत्यापित यह शपथ पत्र देना आवश्यक होगा कि उसने अन्य मतदान केन्द्र पर अपना मतदान नहीं किया है।
7. संभागीय स्तर पर चुनाव का स्थान, संभागीय निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही घोषित किया जायेगा।
8. संभागीय निर्वाचन अधिकारी चुनाव संपन्न होने के तुरन्त पश्चात वाट्सएप एवं दूरभाष द्वारा निर्वाचन अधिकारी को मतों की गणना का ब्यौरा देंगे एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संभागों के मतों की गणना के उपरान्त निर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा की जायेगी।
9. अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र का प्रारूप पृष्ठ भाग पर उपलब्ध है।

(राजेन्द्र सिंह) 01/12/21
निर्वाचन अधिकारी
मो0 9414413599

1.12.21
(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो0 9214339172

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

क्रमांकः रा.वी.से.प./चुनाव अधिकारी/2021 दिनांकः 09.12.2021

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव दिनांक 12.12.2021 को कराये जाने का निर्णय लिया गया था एवं सूचना जारी की गयी थी। अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन दिनांक 06.12.2021 तक किया जाना नियत किया गया था जिसमें दो नामांकन पत्र श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी एवं सोमदत्त खण्डपा, कनिष्ट विधि अधिकारी के प्राप्त हुए। नामांकन पत्र वापस लिये जाने की अन्तिम तिथि 08.12.2021 के पश्चात आज दिनांक 09.12.2021 को प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच पश्चात् यह पाया गया कि श्री जितेन्द्र सिंह का नामांकन पत्र नियमानुसार वैद्य है। दूसरे उम्मीदवार श्री सोमदत्त खण्डपा के नामांकन पत्र की जांच किये जाने पर यह पाया गया कि उनके नामांकन पत्र में अंकित प्रस्तावक श्री महेन्द्र पाल सिंह एवं अनुमोदक श्री सुमित शर्मा का नाम दी राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस ऑफिसर्स एसोसियेशन की मतदाता सूची के क्रमशः क्रम संख्या 102 एवं 13 पर दर्ज है। राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान में विधि सेवा के हितो के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को सदस्यता सूची से पृथक किये जाने का प्रावधान है साथ ही परिषद का कोई सदस्य संस्था के हितो के विपरीत कार्य नही कर सकता है। चूंकि श्री सोमदत्त खण्डपा के नामांकन पत्र में प्रस्तावक एवं अनुमोदक राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के प्रावधान अनुसार प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने की योग्यता नहीं रखते है। ऐसी स्थिति में श्री सोमदत्त खण्डपा का नामांकन पत्र नियमानुसार वैध प्रतीत नहीं होता। अतः इनका नामांकन पत्र उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः श्री सोमदत्त खण्डपा का अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र खारिज किया जाता है।

संलग्नः राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस ऑफिसर्स एसोसियेशन की मतदाता सूची

09/12/21
(राजेन्द्र सिंह)
निर्वाचन अधिकारी
मो0नं0 9414413599

9.12.21
(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो0 नं0 9214339172

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

क्रमांकः रा.वी.से.प./चुनाव अधिकारी/2021 दिनांकः 09.12.2021

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 06.12.2021 तक श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी एवं सोमदत्त खण्डपा, कनिष्ट विधि अधिकारी का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। नामांकन पत्र वापस लिये जाने की अन्तिम तिथि 08.12.2021 के बाद नामांकन पत्रों की जांच पश्चात् श्री जितेन्द्र सिंह का नामांकन पत्र वैध पाया गया जबकि श्री सोमदत्त खण्डपा का नामांकन पत्र नियमानुसार/परिषद के संविधान उपबन्ध के अनुसार वैध नहीं पाया गया जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया नामांकन पत्र पृथक आदेश जारी कर निरस्त किया गया। उक्त परिस्थितियों में एकमात्र श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का नामांकन पत्र नियमानुसार वैध होने से अस्तित्व में रहा। इसलिए राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतदान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

अतः श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी को उपरोक्त परिस्थितियों में राजस्थान विधि सेवा परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाता है।

(राजेन्द्र सिंह)
निर्वाचन अधिकारी
मो0नं0 9414413599

9.12.21
(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो0 नं0 9214339172

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./40

दिनांक : 13/12/2021

–:: आदेश ::–

मैं **जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष,** राजस्थान विधि सेवा परिषद्, परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी के गठन की घोषणा एतद्द्वारा निम्नवत् करता हूँ :–

–: कार्यकारिणी :–

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	–	श्री प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
उपाध्यक्ष	–	श्री छैल बिहारी अग्रवाल, संयुक्त विधि परामर्शी
महासचिव	–	श्री सुरेश चन्द शर्मा, उप विधि परामर्शी
सचिव	–	सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी
संयुक्त सचिव	–	श्री सुखदेव सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	–	श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी
सह–कोषाध्यक्ष	–	श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
प्रवक्ता	–	श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी

–: सदस्यगण :–

1. सुश्री शालिनी मित्रुका, कनिष्ठ विधि अधिकारी
2. श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
3. श्री शशिकान्त गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी
4. श्री राजेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी
5. श्री रामनिवास मीना, कनिष्ठ विधि अधिकारी
6. श्री रमेश बुनकर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
7. श्री पूनमा राम, कनिष्ठ विधि अधिकारी

13/12/2021

–: संभागीय पदाधिकारीगण :–

संभाग का नाम	उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
जयपुर	श्री अशोक गुप्ता, सं0वि0प0	श्री विराट कुमार, क0वि0अ0	श्री प्रिंस जैमन, क0वि0अ0
जोधपुर	श्री जगदीश कुमार सोनी, सं0वि0प0	श्री मो0 आदिल खान मोयल, क0वि0अ0	श्री दिनेश सिंह चारण, क0वि0अ0
अजमेर	श्री महेश चन्द गौड़, उ0वि0प0	श्री सज्जन लाल कड़ेला, क0वि0अ0	श्री नरेश मटई, क0वि0अ0
कोटा	श्रीमती सपना वर्मा, क0वि0अ0	श्रीमती सपना वर्मा, (अति0 चार्ज)	श्री दीपेश कुमार बैंसला, (अति0 चार्ज)
बीकानेर	श्री गिरधारी लाल जाखड़, उ0वि0प0	श्री पवन चावला स0वि0प0	श्री पवन विश्नोई क0वि0अ0
उदयपुर	श्री कमल विश्नोई, सं0वि0प0	श्री शंकर सिंह देवडा, उ0वि0प0	श्रीमती खुशबू चौबीसा, क0वि0अ0
भरतपुर	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, उ0वि0प0	श्री दीपेश कुमार बैंसला, क0वि0अ0	श्री सत्यभान सिंह हाड़ा, क0वि0अ0

नोट :– *कार्यकारिणी की बैठक के एजेण्डे को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होने हेतु राजस्थान विधि सेवा परिषद के किसी भी मा0 सदस्य को **'विशेष आंमत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।*

13/12/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
11. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार ऐसासियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

13/12/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 4-1

दिनांक : 14.12.2021

–:: आदेश ::–

राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद–3 में उल्लेखित उद्देश्यों की प्रभावी ढंग से पूर्ति हेतु, मैं जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद, एक परामर्श मण्डल तथा विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन एतद्द्वारा निम्नवत् करता हूँ :–

–: परामर्श मण्डल :–

1. श्री हारून अली, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	2. श्री महेन्द्र सिंह बिडियासर, संयुक्त विधि परामर्शी
3. श्री हरीश कुमार शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी	4. श्री हरदयाल सिंह ढाका, संयुक्त विधि परामर्शी
5. श्रीमती आशा शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी	6. श्री उत्तम सिंह, संयुक्त विधि परामर्शी
7. श्री उमेन्द्र कुमार गोयल, संयुक्त विधि परामर्शी	8. श्री सुनील कुमार राघव, संयुक्त विधि परामर्शी
9. श्री पवन कुमार तंवर, संयुक्त विधि परामर्शी	10. श्री महेश कुमार गोयल, उप विधि परामर्शी
11. श्री उगमाराम, उप विधि परामर्शी	12. श्री सुव्रत सान्याल, उप विधि परामर्शी
13. श्रीमती जयश्री मीणा, उप विधि परामर्शी	14. श्री महेश चन्द्र यादव, उप विधि परामर्शी
15. श्री अरूण प्रकाश शर्मा, उप विधि परामर्शी	16. श्री मौ0 जाहिद रशीद, उप विधि परामर्शी

–: महिला प्रकोष्ठ :–

1. श्रीमती आशा शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी – उपाध्यक्ष
2. सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी – सदस्य

14/12/2021

3.	श्रीमती रानू चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्रीमती पूनम कुमारी गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
5.	श्रीमती दिशा फौजदार, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
6.	श्रीमती शालिनी पाण्डेय, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
7.	श्रीमती मोनिका शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
8.	श्रीमती निशिकला सैनी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
9.	सुश्री मनीषा मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
10.	सुश्री संगीता सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
11.	सुश्री पूजा कुंडलवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
12.	श्रीमती संतोष यादव, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

–: विदाई समारोह प्रकोष्ठ :–

1.	श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
5.	श्री शशिकान्त गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

(संभागीय जिलों से संबंधित सदस्यगण)

1.	जयपुर	–	श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
2.	अजमेर	–	श्री नवनीत तिवाड़ी, कनिष्ठ विधि अधिकारी
3.	जोधपुर	–	श्री कमलेश शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
4.	कोटा	–	श्रीमती सपना वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
5.	बीकानेर	–	श्री कपिल तंवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
6.	उदयपुर	–	श्री प्रकाश चन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
7.	भरतपुर	–	श्री निखिल प्रताप सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी

–: खेल प्रकोष्ठ :–

1.	श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

14/12/2021

3.	श्री शशिकांत गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
5.	श्री मौ0 शाकिरदीन, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
6.	श्री सफाकत आलम, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
7.	श्री मौ0 शारिक, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
8.	श्री रामनिवास मीना, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
9.	श्री अनुराग चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
10.	सुश्री संगीता सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
11.	सुश्री पूजा कुण्डलवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

–: वेबसाईट एवं मुद्रण समिति :–

1.	श्री महेश चन्द्र यादव, उप विधि परामर्शी	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार जैन, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
4.	श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
5.	श्री शशिकांत गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य
6.	श्री राजेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	–	सदस्य

नोट :– प्रस्तावित एजेण्डे के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकोष्ठ की बैठक में उपस्थित होने हेतु, राजस्थान विधि सेवा परिषद के किसी भी माननीय सदस्य को **'विशेष आंमत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

14/12/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशेषाधिकारी, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
11. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार ऐसासियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

14/12/2021

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद

—:: शपथ—ग्रहण ::—

मैं ......जितेन्द्र सिंह...... ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा संघ की कार्यकारिणी में ......अध्यक्ष...... के पद पर कार्य करते हुये अपने कर्तव्यों का पूरी योग्यता और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा एवं पद की गोपनीयता को बनाये रखूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना विधि सेवा के सभी सदस्यों के हित में विधि अनुसार सहयोग करूंगा।

जितेन्द्र सिंह
10/12/2021
हस्ताक्षर

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./44 दिनांक : 21.12.2021

सेवा में,

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विधि अधिकारीगण के परिचय पत्र बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिचय बनाने हेतु विधि सेवा के 104 अधिकारीगण के आवेदन–पत्र राजस्थान विधि सेवा परिषद को और प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त समस्त आवेदन पत्र मय सूची, मूल ही प्रेषित कर निवेदन है कि परिषद द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्रों एवं उक्त समस्त आवेदकों के परिचय पत्र शीघ्रातिशीघ्र बनवाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(JLO's के प्राप्त आवेदन)

21/12/2021
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
DLC

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./44 A

दिनांक : 21-12-2021

सेवा में,

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- विधि अधिकारीगण के परिचय पत्र बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिचय बनाने हेतु विधि सेवा के 95 अधिकारीगण के आवेदन–पत्र राजस्थान विधि सेवा परिषद को और प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त समस्त आवेदन पत्र मय सूची, मूल ही प्रेषित कर निवेदन है कि परिषद द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्रों एवं उक्त समस्त आवेदकों के परिचय पत्र शीघ्रातिशीघ्र बनवाने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

21/12/2021
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
O/C